कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2551 /12–1 :देहरादूनःदिनांकः 19 अप्रैल, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

वन अनुभाग–03

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में बुंगाछीना धौनखोल रसैपाटा मोटर मार्ग हेतु 0.81 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/42150/2020)

संदर्भः–वन एवं पर्यावारण अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 859/X-3-20/1(95)/2020 दिनांक 07.08.2020.

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ की पत्र संख्या–5562/12–1 दिनांक 17.03.2025 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रसतावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1,33,100.00 मात्र जमा करा दी गई है। ***(संलग्नक–1)***
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अंतर्गत आई0 ए0सं0 –566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रू0 5,32,170.00 मात्र जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक 1 के अनुसार)**
3.	प्रयोक्ता अभिकारण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। ***(संलग्नक–2)***
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी अलग निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकर्म), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉमप्लेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली– 110003 में जमा कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 तथा प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छायाप्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक 1 के अनुसार)**

5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा भू–वैज्ञानिक की शर्त मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।*(संलग्नक–3)*
6.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है। *(संलग्नक–4)*
7.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8.	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करना चाहें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संख्या :2557 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड़ अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड़, लोक निमार्ण विभाग, पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संलग्नक — 1

DPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-07-2023

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6142150020
MoEF/SG File No.	1(95)/2020
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501Pithoragarh
Amount(in Rs)	665270/-

Amount in Words :Six Lakh Sixty-Five Thousand Two Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896142150020 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challa even after 7 working days, then kindly mail a copy of yo id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ur ubin0903710@unionbankofindia.bank

(1) Cheque No 956898 dt. 26.6.23 ₹ 133100.00

(2) Cheque No 956898 dt. 26.6.23 ₹ 532170.00

665,270.00

Recd. Rs. 665270/-

05/7/23

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

पिथौरागढ़

5. Date of start 21/09/2023

6. Date of completions 20/03/2024

संलग्नक -2

(58)

प्रारुप–51

परियोजना का नाम:– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती हैं तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

हस्ता/–
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

संलग्नक -3

प्रारुप–34

(47)

परियोजना का नाम:– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोनिनि
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
पिथौरागढ़

सलग्नक – 4

प्रारुप–30.3

परियोजना विवरण :– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.810** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि **0.00** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.810** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीछीना) की दिनांक 31.8.019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री सी0 रविशंकर जिलाधिकारी** एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री **सी0 रविशंकर जिलाधिकारी** पिथौरागढ अध्यक्ष
2– श्री [illegible] प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ सदस्य
3– श्रीमति मंजूला देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ग्राम सिर्दांग धारचूला जिला पंचायत सदस्य
4– श्री कमलेश आर्या पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम जैंती विकास खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
5– श्री अमर बहादुर चन्द पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द ग्राम दुतीबगड जौलजीबी विकास खण्ड धारचूला जिला पंचायत सदस्य
6– श्री [illegible] जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु **0.810** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.810. हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़

जि0 प0 सदस्य
सिर्दांग

जि0 प0 सदस्य

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No--- 36 Dated--31/8/018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.810** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Batula(Musgal, Dhaunkhola)** village (s) in **Kanalichina (Pithoragarh)** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.810** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss.C.Ravi Shankar.S deputy commissioner.. Pithoragarh dated 31.8.2018 at time ....4.00.at ..P.M. in which application claiming rights in .... area measuring 0.810 hect for the construction of **Bungachina-Raseapata to Batula (Musgal, Dhaunkhola) Motar Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Kanalichina (Pithoragarh)** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:.Pithoragarh
Dated:..31.08.2018
Chairman

Deputy Commissioner-cum-

District Level Committe

प्रारुप–30.2

परियोजना विवरण :– माननीय मुख्य मंत्री घोशणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डीडीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, डीडीहाट

उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत **माननीय मुख्य मंत्री घोशणा** संख्या 37/2015 **के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य** (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.810** हे0 सिविल सोयम वन भूमि **0.000** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.810** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवलथल) की दिनांक 21/06/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [illegible], उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [illegible] उपजिलाधिकारी [illegible] –अध्यक्ष
2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी– –सदस्य
3– श्री दलीप कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी [illegible] सदस्य/सचिव
4– श्रीमती गंगा देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र –सदस्य
5– श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री कमान सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र खाकोट सदस्य
6– श्री उमेश सिंह पुत्र शेर सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र जमतड़ सदस्य
7– श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री भुवन चन्द्र कापड़ी बी0डी0सी0 क्षेत्र सतगढ़ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **माननीय मुख्य मंत्री घोशणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य** परियोजना हेतु **0.810** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत **माननीय मुख्य मंत्री घोशणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य** परियोजना हेतु **0.810** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देवलथल
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देवलथल
जनपद पिथौरागढ़

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ...बाडुली (धौनखोला, मुड़ागल)

तहसील पिथौरागढ, जिला पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.810 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.810 .हे0 वन भूमि का प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बाडुली द्वारा दिनांक 20/05/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुड़ागल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

आनसिंह

गोदावरी देवी

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित